भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4060

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

भारतनेट चरण-वार योजना

4060. श्री इटेला राजेंदरः
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में भारतनेट चरण-वार योजना के तहत नेटवर्क रिडंडेंसी को सुदृढ़ करने और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ग) क्या तेलंगाना सरकार ने भारतनेट चरण-।। क्षेत्रों में रिंग कन्वर्जन टोपोलॉजी को लागू करने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता मांगी है जिससे नेटवर्क के लचीलेपन और सेवा विश्वसनीयता में काफी सुधार होने का प्रस्ताव है और क्या यह परियोजना दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा तेलंगाना के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के अनुमोदन से जुड़ी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उस पर की गई-कार्रवाई क्या है; और

(घ) तेलंगाना राज्य के लिए भारतनेट चरण-।। क्षेत्र में रिंग कन्वर्जन हेतु पूंजीगत व्यय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारत सरकार ने भारतनेट के चरण-I और चरण-II के तहत बनाए गए मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और नई ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए वृद्धिशील नेटवर्क बनाने और मांग के आधार पर बिना ग्राम-पंचायत वाले गांवों को जोड़ने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदन दिया है। इस कार्यक्रम में रिंग आर्किटेक्चर, निर्माण और प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए एकल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और समर्पित नेटवर्क प्रचालन केंद्र (एनओसी) शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में 12,769 ग्राम पंचायतों का उन्नयन करने और उन्हें जोड़ने के लिए पूंजीगत व्यय सहित 3,189 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इस संबंध में करार को तेलंगाना सरकार के साथ पहले ही साझा किया जा चुका है।